



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48222

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6357/2026

दीपा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार पांडे, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता द्वारा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत एक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके लिए केस संख्या 02241/2020 के रूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था; इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2 - उप-विभागीय अधिकारी (न्यायिक), जिला-बिजनौर द्वारा दिनांक 10.10.2023 को एक आदेश पारित किया गया।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन किए जाने के बाद भी, याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से पुनः बेदखल कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिट याचिकाओं के एक समूह में पारित निर्णय पर भरोसा जताया, जिसमें मुख्य याचिका रिट सी संख्या 35470/2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) शामिल थी, जिसका निर्णय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 18.12.2025 को दिया गया था। पैराग्राफ संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए थे, जो इस प्रकार हैं:-

"44. यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 एसडीओ को सीमा विवादों के त्वरित निपटारे के लिए वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती है, साथ ही सीमांकन और कब्जा बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन का अधिकार भी देती है। इसका निष्पादन विवेकाधीन नहीं है, बल्कि प्रावधान की प्रभावशीलता का एक अभिन्न अंग है—इसे लागू करने में विफलता पूरी त्वरित प्रक्रिया को बेकार बना देती है और विधायी उद्देश्य को विफल कर देती है। तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक ऐसा संरचित ढाँचा प्रदान करना है जो वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 का नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (दिनांक 16.12.2025 का सरकारी आदेश), प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों, और निष्पक्षता तथा सार्वजनिक व्यवस्था की संवैधानिक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करे। संबंधित प्रतिवादी, विशेष रूप से एसडीओ और कलेक्टर, कानून के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि धारा 24 के तहत दिए गए आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

45. राजस्व विभाग के सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य, यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों को राज्य के भीतर सभी राजस्व अधिकारियों तक पहुँचाया जाए। अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



46. प्रतिवादियों, विशेष रूप से संबंधित सभी एसडीओ को तत्काल निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिकाओं के इस समूह में शामिल सभी संबंधित आदेशों को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित साइट मेमो/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार सख्ती से निष्पादित करें; ऐसा करते समय वे सीमा-चिह्न लगाने और जहाँ भी आवश्यक हो, कब्ज़ा बहाल करने को सुनिश्चित करें।"

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता, और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता, श्री अरुण कुमार पांडे को सुना गया, और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
4. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को इस आदेश से कोई आपत्ति या असंतोष होता है, तो उन्हें इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 10.10.2023 के आदेश का पालन करे; यह पालन कानून के अनुसार तथा ऊपर उद्धृत 'मीना देवी' (उपरोक्त) मामले में की गई टिप्पणियों के पूर्णतः अनुरूप होना चाहिए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

10 मार्च, 2026

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"